


सत्र 2012-13 से प्रारंभ नवीन अशासकीय महाविद्यालय

क्र.	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	निरीक्षण समिति
1.	श्री धीरसिंह महाविद्यालय, गोरमी भिण्ड	बी.एससी. प्रथम-आ.पा. रसायन, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र; बी.ए. प्रथम-आ.पा. हिन्दी, इतिहास, एवं अंग्रेजी	प्रो. जे.एन. गौतम प्रो. ए.के. हलवे डॉ. एस.डी. सिसोदिया
2.	चौधरी रूस्तम सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेज, डिडी, भिण्ड	बी.ए. प्रथम-आ.पा., हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र; बी.एससी. प्रथम- आ.पा. भौतिक, रसायन, गणित	प्रो. जे.एन. गौतम प्रो. ए.के. हलवे डॉ. एस.डी. सिसोदिया
3.	मालवा कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, बीनागंज, चाचौड़ा, गुना	पी.जी.डी.सी.ए.	प्रो. डी.एन. गोस्वामी डॉ. एस.के. गुप्ता
4.	ए.डी.एस. कॉलेज, अम्बाह, मुरैना	बी.ए. द्वितीय-आ.पा., हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र; बी.सो.ए. प्रथम; पी.जी.डी.सी.ए.; एम.एससी. पूर्वार्द्ध - गणित, रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान	प्रो. जे.एन. गौतम प्रो. डी.एन. गोस्वामी प्रो. राजीव जैन प्रो. आई.के. पात्रो प्रो. अविनाश तिवारी
5.	रोशनलाला देपुरिया शिक्षा प्रसार समिति, भिण्ड	एम.ए. उत्तरार्द्ध - संस्कृत, समाजशास्त्र, इतिहास; एम.एससी. पूर्वार्द्ध भौतिक, रसायन, वनस्पति, कम्प्यूटर विज्ञान बी.सी.ए. प्रथम; बी.लिब.	प्रो. राजीव जैन प्रो. डी.एन. गोस्वामी डॉ. एस.डी. सिसोदिया प्रो. अविनाश तिवारी डॉ. वी.के. शर्मा, विज्ञान महा.ग्वा
6.	बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, डबरा, ग्वालियर	बी.कॉम. तृतीय वर्ष प्लेन/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, पी.जी.डी.सी.ए	प्रो. डी.एन. गोस्वामी डॉ. आर.सी. उपाध्याय, के.आर.जी.



आवश्यक निर्देश :-

1. उपरोक्तानुसार गटित समितियां परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालयों का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक अशैक्षणिक स्टाफ, वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर, पाठ्यक्रम, अध्यादेश तथा विगत सत्र में लगाई गई शर्तों की पूर्ति आदि की जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करेंगी।
2. स्थायी समिति एवं कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार वर्ष 2012-13 के सभी सम्बद्धता प्रकरण 30 जून 2012 से पूर्व ही स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हैं। अतः समस्त समितियों के संयोजकों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों/संस्था के अध्यक्षों/सचिवों का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने महाविद्यालयों का निरीक्षण निर्धारित अवधि से पूर्व ही अत्यावश्यक रूप से सम्पन्न करा लें। यदि कोई भी महाविद्यालय निरीक्षण हेतु तिथि के निर्धारण के लिए इस अधिसूचना जारी होने के एक माह तक संयोजक से सम्पर्क नहीं करता है तो संबंधित संयोजक स्वयं समिति के सदस्यों के साथ किसी भी दिन सम्बन्धित महाविद्यालय का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कार्यालय को आवश्यक रूप से जमा कर सकते हैं।
3. वर्ष 2012-13 के लिए सम्बद्धता सम्बन्धी किसी भी प्रकरण में 30 जून 2012 के पश्चात् किसी भी समिति का प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। ना ही महाविद्यालयों के लिए पुनः समितियों के गठन सम्बन्धी आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जा सकेगा।
4. निरीक्षण समितियों के लिए यात्रा व्यय एवं मानदेय सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा ही देय होगा।


कुलसचिव

